कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक/मा.चि./ 2021/ 1036 कांकेर, दिनांक/19/04/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

विषय :- Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.- Regarding Registration No. FP/CG/Other/27773/2017

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–720/1799 दिनांक 12.10.2020

2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2838 दिनांक 05.04.2021

Conservator of Forest, Kanker Circle
NO 3201
Date 15-2021

विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि छ.ग.शासन वन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 5–22/2019/10–2 दिनांक 24.07.2020 द्वारा 02 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। तदानुसार बिन्दुवार अतिरिक्त जानकारी पर तथ्यात्मक टीप मय दस्तावेज के साथ तैयार कर निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रेषित है :–

क्र.	आपत्ति बिन्दु	विवरण
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र.45 में लेख अनुसार विषयांकित गैर वानिकी कार्य के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगूनें नारंगी वन भूमि नारंगी वन खण्ड सिरसिदा (अ) कक्ष क्रमांक 1474 को प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार के दिशा–निर्देश पुस्तिका के अध्याय–2 के पैरा 4.1 अनुसार वन विभाग के अधिपत्य के लिये गये क्षेत्र को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अतः कृपया वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के बाहर के भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित करें।	भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लिए जारी दिशा–निर्देश पुस्तिका वर्ष 2019 के अध्याय–2 के पैरा 2.4.(i) में दिये गये निर्देशानुसार वन विभाग के अधिपत्य में लिये गये क्षेत्र को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, परन्तु प्रस्ताव के विरूद्ध पूर्व में नारंगी वन भूमि नारंगी वन खण्ड सिरसिदा (अ) कक्ष क्रमांक 1474 को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार के दिशा–निर्देश पुस्तिका वर्ष 2019 के अध्याय–4 के पैरा 4.4.1 के तहत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में शासन के 14 प्रकार के विकासोन्मुखी कार्य हेतु 40.00 हे. तक के कार्यो के लिए सामान्य अनुमोदन का अधिकार राज्य शासन को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा चिन्हित वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिले के अंतर्गत कांकेर जिला भी सम्मिलित है तथा वामपंथ उग्रवाद जिले में सार्वजानिक बुनियादी ढॉचे के निर्माण कार्य हेतु प्रबंधित 14 कार्यो में अध्याय–4 के पैरा 4.4.1 (a) में School and Educational Institutes को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार के पत्र क्रमांक

क्र.	आपत्ति बिन्दु	विवरण
		F.No.11-9/ 98-FC दिनांक 16.06.2011 अनुसार रकबा 5.00 हे. तक के व्यपवर्तन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है, अपितु अध्याय–4 के पैरा 4.4.3 के अनुसार प्रति हेक्टर 50 वृक्ष से कम वृक्ष विद्यमान होने पर अध्याय–2 पैरा 2.6 (i) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार विदोहन हेतु प्रस्तावित वृक्ष के 10 गुना पौध का वृक्षारोपण आवेदक विभाग से वृक्षारोपण प्राक्कलन के आधार पर राशि प्राप्त कर रोपण कार्य किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में प्रस्ताव तैयार करते समय प्रस्तावित स्थल में पूर्व गणना के अनुसार 36 वृक्ष 20 से.मी. गोलाई से अधिक के पाये गये थे, जिसका उल्लेख प्रस्ताव के कण्डिका क्रमांक–12 में किया गया है। पूर्व में 20 से.मी. से कम गोलाई वाले पौधों को गणना में छोड़ा गया था, जो लम्बे समय अंतराल होने कारण वर्तमान में 20 से.मी. से अधिक गोलाई को प्राप्त कर चुके है। इस प्रकार प्रस्ताव में प्रेषित विदोंहन योजना के अनुसार 36 से बढ़कर कुल 76 नग हो गये है। विदोहन योजना संलग्न है। प्रभावित वृक्ष के विरूद्ध 10 गुना (760 नग)वृक्षारोपण हेतु कांकेर परिक्षेत्र के आर.एफ. 65 में रकबा 1.500 हे. का चिन्हांकन कर 10 वर्षीय सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य का परियोजना प्राक्कलन राशि रू.19.00 लाख का तैयार कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र के साथ मय परियोजना प्राक्कलन के संलग्न प्रेषित है।
2	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4.1 (e) अनुसार राज्य को सामान्य अनुमोदन के तहत अनुमति का अधिकार निम्न शर्तो के अधीन दिया गया है :– Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable. प्रकरण में चूँकिं आवेदक संस्थान को पूर्व में वन अधिकार अधिनियम के तहत व.म.अ. कांकेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से	वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर को उनके मांग अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से 0.999 हे. वन भूमि में Polytechnic for Skill of Upgradation and Vocational Training Center निर्माण कार्य से संबंधित गैर वानिकी कार्य हेतु विपथन की अनुमति प्रदाय किया गया है, किन्तु विपथित भूमि में शैक्षणिक संस्था में अध्ययन करने वाले बालक–बालिकाओं के लिए छात्रावास, खेल मैदान तथा कार्यालयीन स्टॉफ हेतु आवास निर्माण के लिए भूमि पर्याप्त नहीं होने कारण पुनः प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर द्वारा रकबा 3.310 हे. वन भूमि की मांग की गई है।

क्र.	आपत्ति बिन्दु	विवरण

आपत्ति बिन्दु:

0.99 हे. वन भूमि में Polytechnic for Skill of Upgradation and Vocational Training संबंधी गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति प्रदाय किया गया है। उपरोक्त अनुमति के पश्चात प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र दिनांक 27.06.2020 के बिन्दु क्रमांक–4 में लेख अनुसार शासकीय Polytechnic भवन एवं पहुँच मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। विषयांकित प्रकरण में पूर्व में व.म.अ. द्वारा प्रदायित रकबा 0.99 हे वन भूमि के साथ–साथ Polytechnic Collage से जुड़े अन्य रिहायशी निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि चाही गई है। अतः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4.1 (e) (न्यूनतम वन भूमि उपयोगिता) के अंतर्गत पर तथ्यात्मक टीप प्रेषित करें।

विवरण:

तदानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के धारा 3 (2) के तहत पूर्व में विपथित भूमि 0.999 हे. को जोड़कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कुल 4.309 हे. का प्रस्ताव तैयार कर आपको प्रेषित की गई हैं।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4.1 (e) के अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन, छात्रावास, खेल मैदान तथा कार्यालयीन स्टॉफ हेतु आवास निर्माण के लिए मांग की गई भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, जो प्रस्ताव के पृ.क्र.30 में मदवार उल्लेखित है, जो निम्नानुसार है :–

(A) विपथित भूमि 0.999 हे. में किये गये निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है:–

No.	Name of contruction	Area(he.)	Remark
1	Govt. Polytechnic ollage Kanker (Building)	0.231 ha.	Completed
2	Male Hostel	0.600 ha.	Proposed area
3	Approach road	0.135 ha.	Completed

(B) प्रस्तावित भूमि 3.310 हे. में किये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है :–

No.	Name of contruction	Area ha.	Remark
i	I Type 8. Nos Quater	0.190 ha.	Proposed area
2	G Type 4. Nos Quarter	0.270 ha.	Proposed area
3	F- Type 12. Nos Quarter	0.650 ha.	Proposed area
4	Play Ground (football, cricket, badminton, basketbail)	1.500 he.	Proposed area
5	Principal House	0.190 ha.	Proposed area
6	Girls, Hostel	0.400 ha.	Proposed area
7	Cround	0.143 ha.	Proposed area
Grand Total-		4.309 ha.	

टीप :– तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ छात्र/छात्राओं के रहने हेतु छात्रावास तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल मैदान का होना भी आवश्यक है, जिसके लिए पूर्व में विपथित भूमि रकबा 0.999 हे. पर्याप्त नही होने के कारण प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा उक्तानुसार मांग की गई

क्र.	आपत्ति बिन्दु	विवरण
		मदवार अतिरिक्त भूमि रकबा 3.310 हे. इस प्रकार प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर द्वारा मांग की गई कुल 4.309 हे. वन भूमि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4.1 (e) के अनुसार न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। अतः उक्त वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल, कांकेर
कांकेर, दिनांक/ 19/04/2021

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 2021/ 1031

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग.नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक नाथिया नवागांव कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल, कांकेर